

29.03.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे उपस्थित। परोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी की मूल अपील निर्णित होने से इस स्थगन प्रार्थना पत्र पर अब किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से इस स्थगन प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(^{hull}डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

